सत्यमेव जयते

U;k;ky;

# lgk;d dyDVj@mi[k.M vf/kdkjh

## x<kekykuh&ckMesj

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.–2022/444 दर्ज तिथिः–10.08.2022

1. दिनेश पुत्र तेजाराम
2. मानाराम पुत्र तेजाराम
3. सुवटी पत्नी तेजाराम
   जाति विश्नोई निवासी जुगताणियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..................प्रार्थी

**बनाम**

1. मीरोंदेवी पत्नी भीखाराम
2. सुगणीदेवी पत्नी हीराराम
   कौम विश्नोई साकिन आलपुरा
3. पुरूषोतम जैन पुत्र मोहनलाल जैन निवासी गुड़ामालानी
4. धनराज पुत्र लीलाधर जोशी
   जाति जोशी निवासी गुड़ामालानी हाल बाड़मेर
5. मांगा पुत्र करनाराम
6. जोगाराम पुत्र चमनाराम
   जाति देवासी साकिन जुगताणियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

................. असल अप्रार्थीगण

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

................. तकमीली अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री हरीश चौधरी
अप्रार्थीगणः–श्री डालुराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:51 IST
Reason: SelfAttested

## —:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—01.08.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 738/5.6089 है0 मौजा जुगताणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 04.04.2022 की पालना में दिनांक 06. 06.2022 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 06.06.2022 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—151 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 का प्रस्तुत कर सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.05.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए. /2025/1056 दिनांक 26.06.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रेषित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

- *प्रकरण में सर्वेशीट संख्या 1574, जारी दिनांक 03.06. 2022 (जो जिला कलक्टर (भू.अ.) बाड़मेर द्वारा जारी की गई) की सहायता से जरीब चलाकर पैमाईश शुरू कर मुस्तकिल बिन्दु V, W, X, Y, Z कायम किये गये। इन मुस्तकिल बिन्दुओं की सहायता से खसरा संख्या 738 की पैमाईश कर बिन्दु संख्या A, B, C, D, E, F, G, H, I, J पर रेत के अस्थायी धुम्बे करवाये गये। मौके पर की गई पैमाईश को पैमाईश के बाद किये गये रेत के अस्थाई धुम्बों को अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार किया। ग्राम आलपुरा के खसरा संख्या 176 व ग्राम जुगताणियों की*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:51 IST
Reason: SelfAttested

*ढाणी के खसरा संख्या 738 की सीमा आपस में ओवरलेप है। जुगताणियों की ढाणी के खसरा संख्या 738 में ग्राम आलपुरा के खसरा संख्या 176 के खातेदारों का कब्जा है। जो नजरी नक्शा में बरंग दर्शाया गया है। ओवरलेप की जमीन पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है।*

3. प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 06.06.2022 एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1056 दिनांक 26.06.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित आराजी की पैमाइश तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा बिना मुस्तकिल बिन्दु कायम किये हुए किये हुए की गई है। जिससे आवेदित आराजी का सीमाज्ञान नहीं होने से नेखमबंदी किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थी का उक्त आवेदन पोषणीय नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:51 IST
Reason: SelfAttested

*Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार सम्वंत 2075—2078 में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी का आक्षेप है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा बिना मुस्तकिल बिन्दु कायम किये हुए आवेदित आराजी की पैमाइश की गई है। जिससे आवेदित आराजी का सीमाज्ञान नहीं होने से नेखमबंदी किया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 06.06.2022 को आवेदित आराजी की पैमाइश की गई है। साथ ही न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.05.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से सीमाज्ञान रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1056 दिनांक 26.06.2025 द्वारा मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुए मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। अतः प्रार्थी का आवेदन किसी भी विधि से वर्जित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी आलपुरा द्वारा दिनांक 06.06.2022 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की आराजी की पैमाईश कर बिन्दु कायम किये गये हैं। उक्त पैमाइश के दौरान माप को लेकर विवाद होने के कारण पैमाइश कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। साथ ही न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.05.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से सीमाज्ञान रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1056 दिनांक 26.06.2025 द्वारा मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुए मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1056 दिनांक 26.06.2025 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण के आराजी खसरा संख्या 738 की पैमाईश हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक गुड़ामालानी एवं हल्का पटवारी आलपुरा द्वारा जिला कलक्टर (भू.अ.) बाड़मेर द्वारा जारी सर्वेशीट संख्या 1574, जारी दिनांक 03.06.2022 की सहायता से जरीब चलाकर पैमाईश शुरू कर मुस्तकिल बिन्दु V, W, X, Y, Z कायम किये गये। इन मुस्तकिल बिन्दुओं की सहायता से खसरा संख्या 738 की पैमाईश कर बिन्दु संख्या A, B, C, D, E, F, G, H, I, J पर रेत के अस्थायी धुम्बे करवाये गये। मौके पर की गई पैमाईश को पैमाइश के बाद किये गये रेत के अस्थाई धुम्बों को अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार किया। ग्राम आलपुरा के खसरा संख्या 176 व ग्राम जुगताणियों की ढाणी के खसरा संख्या 738 की सीमा आपस में ओवरलेप है, जो संलग्न नक्शा में बरंग लाल दर्शाई गई है। जुगताणियों की ढाणी के खसरा संख्या 738 में ग्राम आलपुरा के खसरा संख्या 176 के खातेदारों का कब्जा है, जिसको संलग्न नक्शे में बरंग हरा दर्शाया गया है। उक्त विवेचन के अनुसार स्पष्ट है कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुए प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमांकन करते हुए मौके की स्थिति बरंग दर्शाई है। इस प्रकार प्रकरण में अप्रार्थी का उक्त आक्षेप निराधार प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:51 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 06.06.2022 एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1056 दिनांक 26.06.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

**प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 738/5.6089 है0 मौजा जुगताणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।**

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 01.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:51 IST
Reason: SelfAttested